यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सचिव विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड देहरादून के 02/2018 से 07/2020 तक के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24-08-2020 से 31-08-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. भाग-I परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री रवीद्र कुमार जयंत लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.02.2018 से 16.02.2018 तक श्री आर० एस० नेगी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी जिसमें 01/2017 से 01/2018 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि॰	बचत	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	4498.32	4429.81	2020.00	2001.33	-	68.51	-	18.67
2018-19	-	-	7495.67	7128.81	3150.00	3145.00	-	366.86	-	5.00
2019-20	-	-	7212.83	6680.98	1560.00	1200.10	-	531.85	-	359.90

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

सचिव
अपर सचिव
संयुक्त सचिव
उपसचिव
अनुसचिव
अनुभाग अधिकारी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में सचिव विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। मार्च 2019 एवं जून 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01: बिना वाहनो की आपूर्ति किये एजेंसी को ₹ 23.87 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 159 के अनुसार साधारणतः आपूर्तिकर्ता को सामग्री आपूर्ति के बाद भुगतान किया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो कुल मूल्य का 30 प्रतिशत से अधिक फर्म को अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाना चाहिये।

कार्यालय विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड देहरादून की लेखापरीक्षा मे वाहनो से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि विभिन्न समितियों के माननीय सभापतियों के उपयोगार्थ हेतु चार वाहन निष्प्रयोज्य किये गये जिनके स्थान पर चार नये वाहनो का क्रय किया जाना प्रस्तावित था। वाहनो का क्रय DGSD GeM की दरों के आधार पर किया जाना था। आगे जाँच मे पाया गया कि विभाग द्वारा चार वाहन Dzire vxi BS-VI (Petrol) का क्रय मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड देहरादून से किया जाना प्रस्तावित था एवं चार वाहनो का मूल्य ₹ 23,87,396.00 की धनराशि का भुगतान मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड देहरादून को मार्च 2020 मे किया गया था परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक वाहनो की आपूर्ति नहीं की गयी थी।

उपर्युक्त के सम्बंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि संबन्धित फर्म को पत्र द्वारा वाहनो की आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि नियमानुसार वाहनो की आपूर्ति किए जाने पर भुगतान किया जाना चाहिये था इकाई द्वारा बिना आपूर्ति किये एजेंसी को भुगतान किया गया।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर 02:– ₹ 14.66 लाख के सामग्री क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) नियमावली जुलाई 2017 के बिन्दु 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्वान्त(10) में स्पष्ट प्रवधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम **आवश्यकता** मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए **आवश्यकता** मात्रा को विभाजित नही किया जाऐगा और **न** ही कुल **आवश्यकता** के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की **आवश्यकता** से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। अध्याय 02 के बिन्दु 34 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर यदि क्रय कि गयी सामग्री का मुल्य रू. 25000 से ₹ 2,50,000 तक हो तो क्रय की जाने वाली सामाग्री को विभागाघ्यक्ष/कार्यालयाघ्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय की संस्तुतियों पर किया जायेगा। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य रूप में प्रमाण पत्र देगा। **अध्याय-** 2 के बिन्दु 35 में स्पष्ट प्रवधान है ₹ 2.50 लाख अधिक की सामग्रियां एवं सेवाये की निविदा किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय सचिव, विधान सभा सिचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून के बाउचर अभिलेखो वर्ष 02/2018से 2020–21 (सम्पेक्षा अविध जूलाई 2020 तक) के नमूना जाचॅ मे पाया गया कि इकाई द्वारा कुल **आवश्यकता** के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की **आवश्यकता** से बचने के लिए नियमित अन्तराल में छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया गया है, जो कि नियमानुसार नही (सूची सलग्नक)है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामग्री का क्रय टुकडों में नही किया होता तो **निश्चित** ही उक्त क्रय के लिए क्रय समिति के माध्यम से या निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय करना पड़ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामग्री क्रय में नियमों का अनुपालन **सुनिश्चित** नही किया जा सका है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि भविष्य में सामग्री क्रय में प्रक्यारमेन्ट नियमावली का अनुपालन **सुनिश्चित** किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः ₹ 14.66 लाख के सामग्री क्रय में **अधिप्राप्ति** नियमावली का अनुपालन **सुनिश्चित** न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
47/2014-15	1	-	-
44/16-17	1, 2	1, 2	-
82/ 17-18	-	-	-

(ब)

प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	विवरण	लेखपरीक्षा दल टिप्पणी	अभियुक्त
47/2014-15 भाग दो (ब)	**01**	वितरित की गयी धनराशि ₹ 32.42 लाख की प्राप्ति रसीद न होना।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया अतः प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।
44/2016-17 भाग दो (अ)	**01**	विधान सभा सचिवालय परिसर में निर्मित अतिथि गृह निर्माण पर ₹ 123.07 लाख का निष्फल व्यय		प्रस्तर यथावत रखा जाता है।
	02	गैरसैंण में विधान सभा के निर्माण कार्य पर पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त व्यय/अवमुक्त किए जाने के फलस्वरुप निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया अतः प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।
भाग दो (ब)	**01**	₹ 9.71 लाख कार्यदायी संस्था के पास दो वर्षों से अवरुद्ध रहना।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया अतः प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।	प्रस्तर निस्तारित किया जाता है।
	02	₹ 30 लाख की धनराशि का समायोजन न किया जाना।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया अतः प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।

भाग-IV

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
सतत् अनियमितताएनमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री जगदीश चन्द्र	सचिव	2013 से जून 2020 तक
2	श्री मुकेश सिंघल	सचिव	01/07/2020 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं एवं जिसका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति सचिव विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III